**संख्या- 5/2017/ डी-201/38-2-2017-आई0आर0डी0 289/88**

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**ग्राम्य विकास अनुभाग-2** **लखनऊ: दिनांक 12 अप्रैल, 2017**

**विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत अन्वेषक तकनीकी (सम्प्रति ग्राम्य विकास विभाग में संविलीन) से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले सहायक अभियन्ता के 17 अधिसंख्य पदों का सृजन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2350/38-1-94-4पी/92, दिनांक 17 मार्च, 1994 द्वारा उत्तर प्रदेश के जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों के कार्मिकों के लिए निर्गत सामान्य मार्गनिर्देश में अन्वेषक तकनीकी (Investigator Technical) के लिए सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का प्राविधान नहीं था। शासनादेश संख्या-डी-169/38-2-2000-आई0आर0डी0-289/88, दिनांक 09 फरवरी, 2000 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 1994 में संशोधन करते हुए जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सहायक अभियन्ताओं के 40 प्रतिशत पद अवर अभियन्ताओं/प्राविधिक अन्वेषक (अन्वेषक तकनीकी) की पदोन्नति से तथा 8.33 प्रतिशत पद डिग्रीधारी अवर अभियन्ताओं की पदोन्नति से भरे जाने का प्राविधान किया गया था। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-डी-400/38-2-2000, दिनांक 29 मार्च, 2000 द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 09-02-2000 में की गयी उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए सहायक अभियन्ता के पदों पर प्रोन्नति जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत अवर अभियन्ताओं में से ही किये जाने के आदेश निर्गत किये गये। शासनादेश दिनांक 09-02-2000 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-458 (एस/बी)/2000, अनूप राय जैन व अन्य बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-12-2009 में अन्वेषक तकनीकी (Investigator Technical) के सम्बन्ध में निम्नवत Observation किया गया :-

"Having said so, we also take notice of the fact that there is no channel for promotion of the Investigators (Technical) though they have the same educational qualification as that of the Junior Engineers and hold a higher post than the Junior Engineers with a higher pay scale and, therefore, it is incumbent upon the State Government to provide at least two appropriate channels of promotion with the necessary higher pay scales within a reasonable time, but without any further undue delay, and while doing so, also to consider whether

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

they can be equated with Junior Engineers for the purpose of promotion on the post of Assistant Engineer.

If for any reason, the State Government finds that some other posts are required to be created or sanctioned on the higher level for giving promotion to the Investigators (Technical) so that the stagnation of the Investigators (Technical) is removed, the said posts be created and sanctioned."

**2-** जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में कार्यरत अन्वेषक तकनीकी को पदोन्नति का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या-3541-3543/2012, अरूण कुमार शुक्ला व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10-03-2017 को पारित अन्तिम आदेश निम्नवत हैं :-

"Though, the applications for early hearing of the appeals were listed today for consideration, but in our view, consequent upon the Government, having placed on the record of this case Annexure A, dated 09.12.2016 (pages 302-303 of the paper book), expressly making a provision for channel of promotion, in consonance with the directions issued by the High Court, we are of the view, that the instant civil appeals have been rendered infructuous, and are disposed of as such.

2. Needless to mention, that if the appellants are dissatisfied with the implementation of the above Government order dated 09.12.2016, it shall be open to the appellants to assail the same, if they are so advised, in consonance with law.

3. Since, we have not opined on the merits of the controversy, it shall likewise be open to the private respondents to assail the Government order dated 09.12.2016, if they are likewise to advised, in consonance with law."

**3-** मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-458 (एस/बी)/2000, अनूप राय जैन व अन्य बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध रिट याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-12-2009 में अन्वेषक तकनीकी (Investigator Technical) के सम्बन्ध में किये गये Observation के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-डी-931/38-2-2016-आई0आर0डी0-289/88, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 द्वारा पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2000 को निरस्त करते हुए ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों में सहायक अभियन्ताओं के कुल स्वीकृत/सृजित पदों में से 50 प्रतिशत पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने तथा पदोन्नति कोटे के 50 प्रतिशत पद अवर अभियन्ता एवं 50 प्रतिशत पद अन्वेषक तकनीकी से भरे जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। अन्वेषक तकनीकी को सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-12-2009 के दृष्टिगत ग्राम्य विकास विभाग में अन्वेषक तकनीकी से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने हेतु सहायक अभियन्ता के 17 अधिसंख्य पद (वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड पे- रू0 5400/-) सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**4-** प्रश्नगत पद पदोन्नति/सेवानिवृत्ति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने की दशा में स्वत: समाप्त होते जायेंगे। पदोन्नति के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**5-** यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-ई-2-305/दस-2017, दिनांक 12 अप्रैल 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या-5/2017/ डी-201(1)/38-2-2017 तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त, वित्त) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
3- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2
5- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।